मध्यप्रदेश शासन

सुशासन की नई पहल

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा प्रकाशित

सुशासन की नई पहल

'मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010' नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने का अभिनव प्रयास है। यह कानून मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में किये जा रहे सुशासन के प्रयासों में महत्वपूर्ण कड़ी है। अब चिन्हित सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आम जन को किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं रहना होगा। उनको सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी दी गई है। सेवाएं प्राप्त करना अब उनका अधिकार होगा। लोकसेवा प्रदान करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है।

यह कानून बनाकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आमजन के याचना भाव को शक्ति में बदल दिया है। अब लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिये आमजन को किसी से अनुनय-विनय नहीं करना होगा।

उद्देश्य ये भी है कि प्रशासन से जनता को जो दैनंदिन कार्य होते हैं उन्हें पूरा करने के लिये लोक सेवक सतर्क रहे और सेवा प्रदान करने के लिये अपने उत्तरदायित्व का प्रभावी निर्वहन करे। इसलिये प्रत्येक चिन्हित सेवा को प्रदान करने के लिये समय-सीमा निर्धारित की गई है। सुशासन की यह देश में अपने स्वरूप की प्रथम ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी पहल है। यह कानून शिवराज सिंह सरकार की जन प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

अधिनियम की विशेषताएँ

- प्रथम चरण में 9 विभागों की 26 सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे में रखा गया था। अब इन्हें बढ़ाकर कुल 16 विभागों की 52 सेवाओं को अधिनियम के दायरे में लिया गया है।
- विगत एक वर्ष में लगभग 70 लाख लोग लाभान्वित।
- इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गयी है। इस समय-सीमा में पदाभिहित अधिकारी को यह सेवा प्रदान करनी होगी।
- समय-सीमा में कार्य न करने अथवा अनावश्यक कारणों से विलम्ब करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को दंड देने का प्रावधान है।
- दोषी अधिकारी-कर्मचारी पर 250 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के दंड की व्यवस्था की गई है। दंड के रूप में मिलने वाली राशि पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा सकेगी।
- इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये **"लोक सेवा प्रबंधन विभाग"** का गठन किया गया है।
- सेवाएँ प्रदान करने के लिये प्रत्येक विकासखण्ड में **'लोक सेवा केन्द्र'** की स्थापना प्रस्तावित।

लाभ कैसे मिलेगा

चिन्हित सेवाओं के लिये जनसामान्य को किस अधिकारी को आवेदन पत्र देना है, उसका कार्य पूरा करने के लिये कितने दिन निश्चित हैं, काम न होने की स्थिति में प्रथम अपील सुनने वाले अधिकारी का नाम और प्रथम अपील के निपटारे के लिये निश्चित समय अवधि और दूसरी अपील सुनने वाले अधिकारी के पद नाम का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-

1. ऊर्जा विभाग

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
1.1	निम्नदाब के व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिये मांग-पत्र प्रदान करना जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है।	**(अ) शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केंद्र प्रभारी	11 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केंद्र प्रभारी	16 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.2	मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाब नवीन कनेक्शन प्रदान करना।	**(अ) शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केंद्र प्रभारी	10 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केंद्र प्रभारी	14 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.3	जहां वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां 10 कि.वा. तक के लिये राशि जमा करने के उपरान्त अस्थाई कनेक्शन प्रदान करना।	**(अ) शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केंद्र प्रभारी	3 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केंद्र प्रभारी	3 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.4	जहां वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत भारवृद्धि के प्रकरणों में मांग पत्र जारी करना।	**(अ) शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केंद्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केंद्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.5	जहां वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किये जाने के उपरांत भारवृद्धि करना।	**(अ) शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केंद्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केंद्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता

1	2	3	4	5	6	7
1.6	निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जांच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना/बदलना।	**(अ) शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केंद्र प्रभारी	22 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केंद्र प्रभारी	37 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.7	स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण।	**(अ) शहरी क्षेत्र** जोन/वितरण केंद्र प्रभारी	30 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	7 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
		(ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केंद्र प्रभारी	30 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	7 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता

2. श्रम विभाग (मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल)

2.1	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र (अ) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं हैं- 1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

1	2	3	4	5	6	7
2.2	विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	**ग्रामीण क्षेत्र**				
		मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र				
		(अ) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं हैं-				
		1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.3	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	**ग्रामीण क्षेत्र**				
		मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र				
		(अ) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं हैं-				
		1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

1	2	3	4	5	6	7
2.4	निर्माण श्रमिकों का पंजीयन।	**ग्रामीण क्षेत्र**				
		मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र				
		(अ) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं हैं-				
		1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.5	निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना।	**ग्रामीण क्षेत्र**				
		मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		शहरी क्षेत्र				
		1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. नगर पालिका/नगर पंचायत के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

3. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

3.1	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार।	उपयंत्री	7 कार्य दिवस	सहायक यंत्री	7 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री
3.2	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के निचले भाग में हैण्डपंप के लाईन असेम्बली व सिलेंडर की गंभीर खराबी का सुधार।	उपयंत्री	15 कार्य दिवस	सहायक यंत्री	15 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री

1	2	3	4	5	6	7

4. राजस्व विभाग

4.1	राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड-छः क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना।	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
4.2	चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय।	तहसीलदार या उसके द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी	5 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.3	चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.4	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.5	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	45 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.6	वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन ग्रामों में)	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.7	नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र।	नजूल अधिकारी	1 माह	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

1	2	3	4	5	6	7
4.8	शोध्य क्षमता प्रमाण पत्र।	(अ) तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में) (5 लाख रुपये तक)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (25 लाख रुपये तक)	45 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(स) कलेक्टर (25 लाख रुपये से ऊपर)	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव, राजस्व

5. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

5.1	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन नल कनेक्शन प्रदाय किया जाना।	(1) नगरपालिका/ नगर पंचायत क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(2) नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	30 कार्य दिवस	आयुक्त नगर पालिक निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(3) आयुक्त, नगरपालिक निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
5.2	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र)।	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

6. सामान्य प्रशासन विभाग

6.1	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

1	2	3	4	5	6	7
6.2	आय प्रमाण पत्र।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	3 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	7 कार्य दिवस	कलेक्टर

7. सामाजिक न्याय विभाग

7.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।	**ग्रामीण क्षेत्र के लिये** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		नगरीय क्षेत्र के लिए				
		(अ) आयुक्त, नगर निगम	60 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(ब) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
7.2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना।	**ग्रामीण क्षेत्र के लिये** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		नगरीय क्षेत्र के लिए				
		(अ) आयुक्त, नगर निगम	60 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(ब) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
7.3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।	**ग्रामीण क्षेत्र के लिये** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		नगरीय क्षेत्र के लिए				
		(अ) आयुक्त, नगर निगम	60 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(ब) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

1	2	3	4	5	6	7
7.4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।	**ग्रामीण क्षेत्र के लिये** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		नगरीय क्षेत्र के लिए (अ) आयुक्त, नगर निगम	60 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(ब) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
7.5	राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना।	**ग्रामीण क्षेत्र के लिये** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		नगरीय क्षेत्र के लिए (अ) आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(ब) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

8. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

8.1	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना नियम, 1995 के अंतर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन पत्र का समाधान करना।	जिला संयोजक/ सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

1	2	3	4	5	6	7

9. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

9.1	नवीन बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी करना।	**जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में** सहायक आपूर्ति अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला आपूर्ति अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र तहसीलदार	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
9.2	नवीन ए.पी.एल. राशन कार्ड जारी करना।	**जिला मुख्यालय में स्थित नगरीय निकाय** आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला आपूर्ति अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय निकाय आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के सचिव	30 कार्य दिवस	तहसीलदार	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

10. वन विभाग

10.1	वन्यप्राणियों से जन-हानि हेतु राहत राशि का भुगतान।	परिक्षेत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	वन मण्डल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक

1	2	3	4	5	6	7
10.2	वन्यप्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान।	परिक्षेत्राधिकारी	7 कार्य दिवस	वन मण्डल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.3	वन्यप्राणियों से पशु-हानि राहत राशि का भुगतान।	परिक्षेत्राधिकारी	30 कार्य दिवस	वन मण्डल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचालक	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.4	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान।					
	1. डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत भुगतान के प्रकरण।	वन मण्डलाधिकारी	45 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
	2. पृथक लाट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण।	वन मण्डलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
10.5	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना।	1. शासकीय काष्ठागार हेतु काष्ठागार अधिकारी/ परिक्षेत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	उप वन मंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन मंडलाधिकारी
		2. काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु परिक्षेत्राधिकारी	10 कार्य दिवस	उप वन मंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन मंडलाधिकारी
		3. भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु उप वनमंडलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वन मंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक

1	2	3	4	5	6	7

11. गृह विभाग

1	2	3	4	5	6	7
11.1	मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्टमार्टम (पी.एम.) रिपोर्ट की प्रति का प्रदाय किया जाना।	संबंधित थाना क्षेत्र का थाना प्रभारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस (एस.डी.ओ.पी.)/ नगर पुलिस अधीक्षक (सी.एस.पी.)	15 कार्य दिवस	पुलिस अधीक्षक
11.2	एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को प्रदान करना।	थाना प्रभारी	1 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस (एस.डी.ओ.पी.)/ नगर पुलिस अधीक्षक (सी.एस.पी.)	7 कार्य दिवस	पुलिस अधीक्षक
11.3	लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण।	जिला दण्डाधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त	7 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग
11.4	लायसेंस अवधि की समय-सीमा के पश्चात् अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण।	जिला दण्डाधिकारी	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव, गृह विभाग

12. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1	2	3	4	5	6	7
12.1	राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रुपये 1.00 लाख के प्रकरण (जिला स्तरीय) का स्वीकृत किया जाना।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	10 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	15 कार्य दिवस	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं
12.2	विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाना।	सिविल सर्जन	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

1	2	3	4	5	6	7
12.3	दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना।	**(अ) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिए** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(ब) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	7 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

13. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

13.1	रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस जारी करना।	संबंधित जिले के उप संचालक, कृषि	30 कार्य दिवस	संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, कृषि	15 कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
13.2	रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण।	संबंधित जिले के उप संचालक, कृषि	30 कार्य दिवस	संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, कृषि	15 कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

14. महिला एवं बाल विकास विभाग

14.1	लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना।	बाल विकास परियोजना अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला महिला बाल विकास अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

1	2	3	4	5	6	7

15. परिवहन विभाग

15.1	लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस जारी करना।	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.)	10 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.2	वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करना।	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.)	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

16. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

16.1	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (ग्रामीण क्षेत्र)।	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना और जवाबदेह प्रशासनतंत्र दोनों मिलकर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बनाते हैं। नागरिकों को निर्बाध सेवा का मिलना, न केवल उनकी अपेक्षा है, बल्कि उनका अधिकार है।

हम नागरिकों को लोक सेवाएँ समय सीमा में प्रदान करने की गारंटी दे रहे हैं। इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को अधिकारसम्पन्न बनाने का नया आयाम स्थापित होगा। यह कानून नागरिक अधिकारों को मजबूत करेगा तथा जनसेवकों को अधिक जवाबदेह और संवेदनशील भी बनायेगा।

पिछले वर्ष 26 सेवाओं को अधिसूचित किया गया था, अब उन्हें बढ़ाकर 52 सेवाएँ अधिनियम के दायरे में लाई गई हैं। हमारा निरन्तर प्रयास है कि आम आदमी को शीघ्र और बेहतर सेवाएँ मिलें।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश माध्यम/2011
Website : www.mpmadhyam.in
मुद्रण : मेरा प्रिंट, भोपाल